

28/10/20

पञ्जीवली ⁽¹²⁾ फेरा हुआ पक्षपात (अर्थगत)
उपस्थित नहीं। न्यायालय समय में कारवाय
अवकाश लगावकी गयी कि भी न गये
प्राप्यता के न भी ~~आ~~ इनके विधि
प्रतिष्ठित / एकीकृत उपस्थित नहीं हुए
अतः पञ्जीवली अर्हता के लिए न्य निपट
०३ मीमी का लिए की जाता है

-प

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

28.4.2020

पत्रावली प्रथम धारा के नम्बर के
 काम की जाकर मुलकाद के साथ
 सलोक है। ~~कुछे न्यायालय में~~
 पुनरागत ~~जारी~~ पुन